



कार्यालय नगर निगम, ग्रेटर जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, जयपुर)

क्रमांक:-

एफ-५()कार्मिक/सा.प्र./ननिप्रेज/2023/ १८।

दिनांक:- ०८/०५/२०२३

कार्यालय आदेश

श्री मातुराम, चौकीदार, केन्द्रीय शाखा नगर निगम जयपुर को राजस्थान सेवा नियम 1996 के उपं नियम 53 के अन्तर्गत लापता दिनांक 14.11.2017 मध्यांह पश्चात् से नगर निगम ग्रेटर जयपुर की सेवाओं से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरिनामित श्री मातुराम, चौकीदार के विरुद्धः—

01. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
02. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
03. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

— ४१ —

(महेन्द्र सोनी)


आईएस

आयुक्त

नगर निगम ग्रेटर जयपुर

प्रतिलिपि :-

1. निजी सहायक, महापौर महो०/उपमहापौर महोदय नगर निगम ग्रेटर जयपुर
2. निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर
3. निजी सहायक, आयुक्त महोदय, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
4. निजी सहायक, आयुक्त महोदय, नगर निगम जयपुर हैरिटेज
5. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त महो०, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
6. वित्तीय सलाहकार, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
7. लेखाधिकारी (कार्मिक), नगर निगम ग्रेटर जयपुर
8. एसीपी, सूचना प्रौद्योगिकी शाखा मु०, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
9. संस्थापन लिपिक
10. सम्बन्धित श्री.....
11. प्रभारी, ओसवाल डाटा, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
12. गार्ड फाईल


आयुक्त
नगर निगम ग्रेटर जयपुर